न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर(राज०)

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र सिंह परमार, आर०ए०एस०

दावा नं० 1/80

तारीख रज्जू 17.07.2019

2019/211

01– पूरणमल पुत्र श्री राम सहाय उम्र करीब 63 वर्ष

02– गिर्राज प्रसाद पुत्र श्री राम सहाय, उम्र करीब 66 वर्ष

03– जगदीश पुत्र श्री पन्नालाल, उम्र करीब 57 वर्ष

04– खुशीराम पुत्र श्री पन्नालाल उम्र करीब 36 वर्ष

05– मानसिंह पुत्र श्री पन्नालाल उम्र करीब 44 वर्ष जातियान गुर्जर निवासीयान ग्राम श्योदानपुरा तहसील व जिला अलवर

–वादीगण

बनाम

01– ललित कुमार पुत्र स्व. श्री लक्ष्मी नारायण, जाति दर्जी उम्र करीब 50 वर्ष निवासी 75 सुभाष नगर अलवर

02– पवन कुमार अन्नत कुमार एचयूएफ जरिये कर्ता पवन कुमार खण्डेलवाल पुत्र ताराचन्द खण्डेलवाल उम्र करीब 47 वर्ष जाति महाजन निवासी मोती डूँगरी अलवर

––असल प्रतिवादीगण

03– राजस्थान राज्य जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार अलवर

––तकमीली प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 88, 89 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– **दिनांक: 30.10.2019**

वादीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया जिसका सूक्ष्य वृत्तान्त इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नंबर 785 रकबा 62 ऐयर, 793 रकबा 19 ऐयर, 794 रकबा 78 ऐयर, 795

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner

रकबा 18 ऐयर, 796 रकबा 1.06 है०, 797 रकबा 01 ऐयर, 798 रकबा 63 ऐयर, 800 रकबा 27 ऐयर, 801 रकबा 29 ऐयर, 802 रकबा 1.27 है0, 805 रकबा 1.15 है0, 806 रकबा 01 ऐयर, 807 रकबा 55 ऐयर, 808 रकबा 43 ऐयर, 809 रकबा 76 ऐयर, 810 रकबा 30 ऐयर, 819 रकबा 34 ऐयर, 820 रकबा 20 ऐयर, 821 रकबा 30 ऐयर, 822 रकबा 30 ऐयर, 823 रकबा 27 ऐयर, 858/935 रकबा 8 ऐयर, 893 रकबा 40 ऐयर, 894 रकबा 67 ऐयर, 895 रकबा 30 ऐयर, 896 रकबा 16 ऐयर, 897 रकबा 17 ऐयर, 898 रकबा 25 ऐयर, 899 रकबा 57 ऐयर, कुल किता 29 रकबा 12.51 है० ग्राम पैंतपुर तहसील अलवर जिला अलवर में स्थित है। उपरोक्त आराजीयात में 3/15 हिस्सा वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी का है। जो कि दावा हाजा में विवादित आराजी है, शेष हिस्से के सहकाश्तकारों से वादीगण का वर्तमान वाद में कोई विवाद नहीं होने के कारण सहकाश्तकारान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। उपरोक्त आराजीयात में से वादीगण ने अपने 3/15 हिस्से में से 62 ऐयर का बेचान रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 18.12.2015 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को करके कब्जा संभलवा दिया था। जिसका इंतकाल बैय संख्या 461 दिनांक 20.01.2016 दर्ज मंजूर हो गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादीगण द्वारा अपने 3/15 हिस्सा में से 62 ऐयर का बेचान करने बाद वादीगण का शेष हिस्सा आराजी में बदस्तूर चला आ रहा है, जिसके वादीगण आज भी खातेदार काबिज काश्तकार है। साबिक गणना के अनुसार उक्त आराजी में वादीगण का कुल हिस्सा 3/15 अर्थात 10 बीघा में से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 62 ऐयर अर्थात 2 बीघा 10 बिस्वा का बेचान करने के बाद वादीगण का शेष हिस्सा 7 बीघा 10 बिस्वा बचता है। किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने खिलाफ मौका खिलाफ कानून वो उक्त बैयनामा के इंतकाल संख्या 641 के विपरीत प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/10 व प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/10 दर्ज कर दिया अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का हिस्सा 23/834 हिस्सा बनता है तथा शेष हिस्सा वादी संख्या 1 व 2 का हिस्सा 604/6255 तथा वादी संख्या 3 लगा ०5 का हिस्सा 302/6255 बचता है, जिसके वादीगण आज भी काबिज खातेदार काश्तकार चले आ रहे है। इसलिए इसी अनुसार वादी संख्या 1 व 2 का हिस्सा 604/6255 का तथा वादी संख्या 3 लगा० 5 का हिस्सा 302/6255 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादीगण के 3/15 हिस्से में से 62 ऐयर का खातेदार काश्तकार दर्ज कराने के व कागजात

सहायक कलक्टर अलवर

Scanned by CamScanner

... में दुरूस्त करवाने के वादीगण कानूनन अधिकारी है। वादीगण को जब उक्त त्रूटि का पता चला तो वादीगण ने इस बाबत तहसीलदार साहब, अलवर के यहाँ दिनांक 11.03.2019 को लिखित प्रार्थना पत्र कागजात माल में हिस्से की दुरूस्ती किए जाने बाबत प्रस्तुत किया। जिस पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गई तथा हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार साहब अलवर को प्रस्तुत की। किन्तु दुरूस्ती नहीं की गई और वादीगण दुरूस्ती के लिए इधर–उधर भटकते रहे तथा असल प्रतिवादीगण से इस बाबत बातचीत की तो उन्होंने दिनांक 09.07.19 को बराय बदयांति दुरूस्ती कराने से इंकार कर दिया व कहा कि हम दुरूस्ती नहीं करायेगे, तुम करा सकते हो तो अपने आप करालो। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम गलत इन्द्राज दर्ज रहने से वादीगण के हकूक जायल होते है तथा वादीगण को अपार नापूर्ति होने वाली क्षति होती है। इसलिए उक्त दुरूस्ती कराया जाना आवश्यक है।

वादीगण द्वारा दावा प्रस्तुत कर आराजी हाल खसरा नम्बर 785 रकबा 62 ऐयर, 793 रकबा 9 ऐयर, 794 रकबा 78 ऐयर, 795 रकबा 18 ऐयर, 796 रकबा 1.06 है0, 797 रकबा 01 ऐयर, 798 रकबा 63 ऐयर, 800 रका 27 ऐयर, 801 रकबा 29 ऐयर, 802 रकबा 1.27 है0, 805 रकबा 1.15 है0, 806 रकबा 01 ऐयर, 807 रकबा 55 ऐयर, 808 रकबा 43 ऐयर, 809 रकबा 76 ऐयर, 810 रकबा 30 ऐयर, 819 रकबा 34 ऐयर, 820 रकबा 20 ऐयर, 821 रकबा 30 ऐयर, 822 रकबा 30 ऐयर, 823 रकबा 27 ऐयर, 858/935 रकबा 8 ऐयर, 893 रकबा 40 ऐयर, 894 रकबा 67 ऐयर, 895 रकबा 30 ऐयर, 896 रकबा 16 ऐयर, 897 रकबा 17 ऐयर, 898 रकबा 25 ऐयर, 899 रकबा 57 ऐयर, कुल किता 29 रकबा 12.51 है0 ग्राम पैंतपुर तहसील अलवर जिला अलवर राज0 में वादी संख्या 1 व 2 को 604/6255 हिस्से का तथा वादी संख्या 3 लगा० 5 को 302/6255 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने व कागजात माल में अमल दरामद किये जाने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जर्ये वकील इकबाल जवाब पेश कर दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वादीगण ने वाद के समर्थन में शपथपत्र जगदीश पुत्र पन्ना लाल जाति गुर्जर निवासी श्योदानपुरा तहसील अलवर पेश कर, पेशकर्दा दस्तावेजात पर प्रदर्श

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner

...ले गये। उभयपक्ष की बहस सुनी। उभय पक्ष द्वारा वाद डिक्री किये जाने का न्यायालय को निवेदन किया गया।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, बहस पर मनन किया। हम वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है। अतः आराजी हाल खसरा नंबर 785 रकबा 62 ऐयर, 793 रकबा 19 ऐयर, 794 रकबा 78 ऐयर, 795 रकबा 18 ऐयर, 796 रकबा 1.06 है०, 797 रकबा 01 ऐयर, 798 रकबा 63 ऐयर, 800 रकबा 27 ऐयर, 801 रकबा 29 ऐयर, 802 रकबा 1.27 है0, 805 रकबा 1.15 है0, 806 रकबा 01 ऐयर, 807 रकबा 55 ऐयर, 808 रकबा 43 ऐयर, 809 रकबा 76 ऐयर, 810 रकबा 30 ऐयर, 819 रकबा 34 ऐयर, 820 रकबा 20 ऐयर, 821 रकबा 30 ऐयर, 822 रकबा 30 ऐयर, 823 रकबा 27 ऐयर, 858/935 रकबा 8 ऐयर, 893 रकबा 40 ऐयर, 894 रकबा 67 ऐयर, 895 रकबा 30 ऐयर, 896 रकबा 16 ऐयर, 897 रकबा 17 ऐयर, 898 रकबा 25 ऐयर, 899 रकबा 57 ऐयर, कुल किता 29 रकबा 12.51 है० ग्राम पैंतपुर तहसील अलवर जिला अलवर में वादी संख्या 1 व 2 को 604/6255 हिस्से का तथा वादी संख्या 3 लगा० 5 को 302/6255 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादीगण के 3/15 हिस्से में से 62 ऐयर हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
सहायक कलक्टर
अलवर

सहायक कलक्टर
अलवर

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर, अलवर

पीठासीन अधिकारीः देवेन्द्र सिंह परमार आर.ए.एस.
दावा नं० 1/80
तारीख रज्जू 17.07.2019

उनवान

01– पूरणमल पुत्र श्री राम सहाय उम्र करीब 63 वर्ष
02– गिर्राज प्रसाद पुत्र श्री राम सहाय, उम्र करीब 66 वर्ष
03– जगदीश पुत्र श्री पन्नालाल, उम्र करीब 57 वर्ष
04– खुशीराम पुत्र श्री पन्नालाल उम्र करीब 36 वर्ष
05– मानसिंह पुत्र श्री पन्नालाल उम्र करीब 44 वर्ष जातियान गुर्जर निवासीयान ग्राम श्योदानपुरा तहसील व जिला अलवर

–वादीगण

बनाम

01– ललित कुमार पुत्र स्व. श्री लक्ष्मी नारायण, जाति दर्जी उम्र करीब 50 वर्ष निवासी 75 सुभाष नगर अलवर
02– पवन कुमार अन्नत कुमार एचयूएफ जरिये कर्ता पवन कुमार खण्डेलवाल पुत्र ताराचन्द खण्डेलवाल उम्र करीब 47 वर्ष जाति महाजन निवासी मोती डूँगरी अलवर

––असल प्रतिवादीगण

03– राजस्थान राज्य जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार अलवर

––तकमीली प्रतिवादी

वादी की ओर से श्री सतीश कुमार जैन, अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से निल अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30.10.2019 को सहायक कलक्टर, अलवर के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि आराजी खसरा नंबर 785 रकबा 62 ऐयर, 793 रकबा 19 ऐयर, 794 रकबा 78 ऐयर, 795 रकबा 18 ऐयर, 796 रकबा 1.06 है0, 797 रकबा 01 ऐयर, 798 रकबा 63 ऐयर, 800 रका 27 ऐयर, 801 रकबा 29 ऐयर, 802 रकबा 1.27 है0, 805 रकबा 1.15 है0, 806 रकबा 01 ऐयर, 807 रकबा 55 ऐयर, 808 रकबा 43 ऐयर, 809 रकबा 76 ऐयर, 810 रकबा 30 ऐयर, 819 रकबा 34 ऐयर, 820 रकबा 20 ऐयर, 821 रकबा 30 ऐयर, 822 रकबा 30 ऐयर, 823 रकबा 27 ऐयर, 858/935 रकबा 8 ऐयर, 893 रकबा 40 ऐयर, 894 रकबा 67 ऐयर, 895 रकबा 30 ऐयर, 896 रकबा 16 ऐयर, 897 रकबा 17 ऐयर, 898 रकबा 25 ऐयर, 899 रकबा 57 ऐयर, कुल किता 29 रकबा 12.51 है0 ग्राम पैंतपुर तहसील अलवर जिला अलवर में वादी संख्या 01 व 02 को 604/6255 हिस्से का तथा वादी संख्या 03 लगा0 05 को 302/6255 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादीगण के 3/15 हिस्से में से 62 ऐयर हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

यह आज दिनांक 30.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अलवर (राज0)
सत्यमेव जयते

(देवेन्द्र सिंह परमार),
पीठासीन अधिकारी,
सहायक कलक्टर,
अलवर

Scanned by CamScanner